

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 12/2025

उनवान

1. रतन लाल पुत्र बखतु जाट जाति जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज)
2. चांदी बेवा पुत्री बखतु जाट जाति जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र श्री कालू जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
2. देवी पुत्र श्री त्रिलोक जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
3. शंकर पुत्र श्री त्रिलोक जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
4. मंगू पुत्र श्री कालू जाट नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 15-07-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 480 की आराजी नम्बर 1146 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1147 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1149 रकबा 0.3414 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1154 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.5690 है०, कुल कित्ता 05 रकबा 1.4668 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 480 की आराजी नम्बर 1146 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1147 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1149 रकबा 0.3414 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1154 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.5690 है०, कुल कित्ता 05 रकबा 1.4668 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ